मर तालाब के किनारे खुले में वाहन

क्रमण से राहगीरों को हो रही परेशानी-दलसागर तालाब पार में एक
र अतिक्रमण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहां बड़ी संख्या में अस्थायी
ठेलों से सड़क संकरी हो गई है, जिससे राहगीरों, स्कूली छात्र-छात्राओं और
को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदारों
सामान सड़क तक फैलाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जाम
स्थिति बन रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पूर्व में हटाए गए
क्रमण दोबारा स्थापित हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में अव्यवस्था और असुरक्षा का
बन रहा है।

गैराजों का अपशिष्ट मिल रहा तालाब में- दलसागर तालाब के आसपास संचालित कुछ गैराजों में खुले में वाहनों की मरम्मत की जा रही है। मरम्मत के दौरान निकलने वाला तेल, ग्रीस और अन्य अपशिष्ट पदार्थ तालाब में पहुंच रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। शहरवासी संदीप ठाकुर, राजू सनोडिया का कहना है कि प्रदूषित पानी से तालाब की स्वच्छता प्रभावित हो रही है और जलीय जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो तालाब का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और जल स्रोत की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा -क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से दलसागर तालाब किनारे बढ़ते अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने, अवैध कब्जों को हटाने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्थायी समाधान लागू करने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और तालाब का पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके।

निरीक्षण किया। शुभम बेकरी शॉप में विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की गई। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा की गई प्राथमिक जांच में पनीर एवं फ्रोजन मटर निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इनके नमूने लेकर आगे की परीक्षण कार्रवाई की गई। साथ ही प्रतिष्ठान में रखी कुछ खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 500 रुपए थी, को मौके पर ही नष्ट कराया गया। विभाग के इस अभियान के दौरान नवदुर्गा बीकानेर स्वीट्स एवं सोनी होटल का भी निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से उनकी प्राथमिक जांच की गई।

जन परामर्श बैठक आज

सिवनी| समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपरामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आज 13 जून को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभाकक्ष में जनपरामर्श की बैठक आयोजित की है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, प्रमुख नागरिकों, अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

न योजना
पूर्ण करें

न्होंने अधिकारियों को निर्देशित
योजनाओं का समयबद्ध
रक्षित किया जाए। उन्होंने
टों में सतत पेयजल आपूर्ति
के लिए नलकूप खनन के
के लिए उपयोगी एवं उपयुक्त
न करने के निर्देश दिए। समूह
नाओं की समीक्षा करते हुए
ट, संगमघाट, डुरकी तथा
ल जल योजनाओं में शामिल
की जलापूर्ति की स्थिति का
ण किया गया। प्रगतिरत
पायली समूह नल जल
लंबित कार्यों को निर्धारित
में पूर्ण कर संबंधित ग्रामों
पूर्ति सुनिश्चित करने के

में योग दिवस
चलेगा विशेष
यान, दी जा रही
ओं की जानकारी

को अंतर्राष्ट्रीय
ग दिवस

के अवसर पर 21 जून को
विकासों में अंतर्राष्ट्रीय योग
मूह के सहयोग से मनाया
के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा
पालन किया जाएगा। इसके लिए
शिविर भी आयोजित किये
डा मॉडल विभाग आयुष विभाग
कल्याण, उच्च शिक्षा, स्कूल
एवं जनजातीय कार्य विभाग

खेती से संबंधित
शालाएं होंगी

ति प्राकृतिक खेती को
र 19 एवं 20 जून 2026 को
कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों
ों द्वारा प्रदर्शन एवं
तिक खेती कार्यशालाएं
इस कार्यक्रम के लिए किसान
कास मॉडल विभाग तथा
संस्करण विभाग सहयोगी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 29/06/2026

क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा - पुराने पंजाब भवन के पास, चिटनिसगंज नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं शामिल रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ बंधककर्ता-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर राशि बिड वृद्धि राशि
1	1. मैसर्स राजेश पुत्र और निरंज पुत्र, प्रोप. श्रीमती सुलक्षण चौहान पत्नी श्री धरमलाल चौहान पता - ग्राम - लीडोआरी, पो. विलोद तह. लालबर्रा, जिला - बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री राजकुमार चौहान पिता श्री धरमलाल चौहान पता - ग्राम - लीडोआरी, पो. विलोद तह. लालबर्रा, जिला - बालाघाट (म.प्र.) 3. मैसर्स राजेश बाजी और इनका डेयरी, प्रोप. श्री राजकुमार चौहान पिता श्री धरमलाल चौहान पता - ग्राम - लीडोआरी, पो. विलोद तह. लालबर्रा, जिला - बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती पुष्पा चौहान पत्नी श्री कैलाश चौहान पता - वार्ड नं.12, बूढ़ी पुलिस लाइन के बाजू में, बालाघाट तह. जिला बालाघाट (म.प्र.) संबंधित शाखा: [illegible] अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - मो. न. 8226003738	30/05/2017 18/08/2017 रु. 27,90,042.00 • भविष्य ब्याज • विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन संपत्ति - ग्राम - लीडोआरी, पो. विलोद, खसरा नंबर 114/6/2, प.ह.नं. 15/79, तहसील- लालबर्रा, जिला-बालाघाट में म. प्र. स्थित है। कुल रकबा : 0.077 हेक्टर भू-स्वामी / बंधककर्ता: 1.श्री राजकुमार चौहान पिता श्री धरमलाल चौहान चतुःसीमा : उत्तर - रोड, दक्षिण- धरमलाल की भूमि, पूर्व- बाबूलाल भगत की भूमि, पश्चिम - सुखलाल की भूमि सांकेतिक कब्जा	रु. 27,29,000/- रु. 2,73,900/- रु. 20,000/-
2	मैसर्स पारधी साड़ी प्रोप. श्री धर्मेन्द्र पारधी पिता श्री सुखानसिंह पारधी पता- सिवनी रोड, [illegible] के पास, तह. कटंगी, जिला - बालाघाट (म.प्र.) संबंधित शाखा: कटंगी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - मो. न. 8226003739	07/06/2023 18/08/2023 रु. 1,07,52,176.00 • भविष्य ब्याज • विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन संपत्ति - स्थित ग्राम- [illegible] खसरा नंबर 459/16 प.ह.नं. 8, तहसील - कटंगी, जिला बालाघाट में म. प्र. स्थित है। कुल रकबा : 0.021 हेक्टर भू-स्वामी / बंधककर्ता: 1. श्री धर्मेन्द्र पारधी पिता श्री सुखानसिंह पारधी चतुःसीमा : उत्तर - [illegible] की भूमि, दक्षिण- कच्चा रास्ता, पूर्व- [illegible] की भूमि, पश्चिम - [illegible] की भूमि मशिनरी - 4 सेट 11-400-800-1200 Computerized EMB M/C सांकेतिक कब्जा	रु. 30,39,600/- रु. 3,03,960/- रु. 20,000/-
3	श्री. संतोष कोरी पिता स्व. श्री गणपति कोरी स्व. श्री. गणपति कोरी पिता श्री [illegible] कोरी कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से, श्री. संतोष कोरी पिता स्व. श्री. गणपति कोरी श्रीमति कुसुम कोरी पति स्व. श्री. गणपति कोरी श्रीमति [illegible] चौधरी पति श्री [illegible] चौधरी श्रीमति [illegible] साहू पति श्री [illegible] साहू पता- वार्ड नं. 13, दुर्गा मंदिर के पीछे, बालाघाट, बूढ़ी, तहसील + जिला - बालाघाट संबंधित शाखा: [illegible] अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - मो. न. 8226003740	24/10/2017 30/12/2017 रु. 7,85,750.00 • भविष्य ब्याज • विधिक व्यय	खसरा नं. 44/4, प.ह.नं.13/1, वार्ड नं. 11, बूढ़ी, बालाघाट तहसील - बालाघाट, जिला - बालाघाट, म.प्र. (Area - 861 Sq.Ft.) भू-स्वामी / बंधककर्ता: स्व. श्री. गणपति कोरी पिता श्री [illegible] कोरी चतुःसीमा : उत्तर - [illegible] का मकान, दक्षिण- [illegible] का मकान, पूर्व- रोड, पश्चिम - [illegible] का मकान सांकेतिक कब्जा	रु. 16,62,000/- रु. 1,66,200/- रु. 20,000/-
4	M/s दिव्या पाइप ट्रेडर्स प्रोप.- श्रीमति सुखवंती नागपुरे पति श्री दीपक नागपुरे पता - क्र. 76, वार्ड क्र. 7, ग्राम - [illegible], पोस्ट - [illegible], जिला - बालाघाट, म0 प्र0 481001 पता :- ग्राम भारद, पोस्ट भारद, तहसील - किरनापुर, जिला - बालाघाट, म0 प्र0 481226 संबंधित शाखा: बालाघाट अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - मो. न. 8226003734	10/06/2025 19/08/2025 रु. 1,15,79,436.55 • भविष्य ब्याज • विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि संपत्ति क्र. 1: मौजा - भारद प.ह.नं. 03/15 रा.नि.म. रजेगांव तहसील किरनापुर जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 241/3 कुल रकबा 0.263 हेक्टर पूर्ण डायवर्टेड जिसमें निर्मित अचल पक्का आर. सी. सी. एवम् अन्य निर्माण जिसकी चतुःसीमा निम्न प्रकार है:- उत्तर - पाइप, दक्षिण - भाउलाल नागपुरे की जमीन, पूर्व - सरकारी जमीन, पश्चिम - सीताराम की जमीन संपत्ति क्र. 2: मौजा - भारद प.ह.नं. 03/15 रा.नि.म. रजेगांव, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 241/4 कुल रकबा 0.162 हेक्टर पूर्ण डायवर्टेड जिसमें निर्मित अचल पक्का आर. सी. सी. एवम् अन्य निर्माण जिसकी चतुःसीमा निम्न प्रकार है:- उत्तर - पाइप, दक्षिण - भाउलाल नागपुरे कि जमीन, पूर्व - [illegible] कि जमीन, पश्चिम - [illegible] कि जमीन संपत्ति क्र. 3: PVC pipe manufacturing Plant & Machineries भू- स्वामी / बंधककर्ता: श्रीमति सुखवंती नागपुरे पति श्री दीपक नागपुरे (संपत्ति बंधककर्ता) भौतिक कब्जा (Physical Possession)	रु. 99,98,000/- रु. 9,99,800/- रु. 50,000/-

विक्रय के नियम और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbank.bank.in देखें या बैंक अनुमोदित सेवा प्रदाता PSB alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। देखें। क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9109954645) से संपर्क कर सकते है। ये ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन एवं पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 13/06/2026

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

HELPLINE

दैनिक भास्कर HELPLINE

सियस कॉलेज

Scanned with OKEN Scanner